रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 1972/फाल्गुन 24, 1893

No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 1972/PHALGUNA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March 1972

S.O. 190(E) In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the film entitled 'JOI BANGLA DESH' (Hindi) which was granted a 'U' Certificate No. 64346, dated the 26th October, 1971, by the Central Board of Film Censors, shall be deemed to be an uncertified film in the whole of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 9/18/71-FC.]

By Order and in the name of the President of India

C. B. GIRIDHAR, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

एस० ओ० 190(अ)—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "जय बंगला देश" (हिन्दी) नामक फिल्म, जिसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा "यू" प्रमाणपत्र संख्या 64346, तारीख 26-10-1971 प्रदान किया गया था, को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से समूचे भारत में अप्रमाणित फिल्म समझा जायेगा।

[संख्या 9/18/71-एफ०सी]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

सी० बी० गिरिधर, उप सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972